

फर्द अहकाम

न्यायालय ~~सिद्धिक कलफटर (फारट ट्रेक) आयेर~~
मुडुवालय-जयपुर

दरपीन/हिं

बनाम

उपना सरका

01/2019

मुकदमा संख्या / वर्ष

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/04/22	<p>पगावली पेश डक अधिवक्तागण उपपक्ष उपस्थित वरस परिनामा ली. आर्क पर सुनी पगावली वस्तु आदेश। निर्णय क्रमांक 19/04/22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">सिद्धिक कलफटर (फारट ट्रेक) आयेर मुडुवालय-जयपुर</p>	
	19/04/22	<p>पगावली पेश डक अधिवक्तागण उपपक्ष उपस्थित वरस परिनामा ली. आर्क के नश्यां पर कानून विषय के पगावली का पूर्वक तप लेका विषय। प्रस्तुत परिनामा ली. आर्क - प्राप्ति द्वारा स्वयं को विदेश स्वतन्त्रता की शर्त की रक्षा के संदर्भ में उक्त निषेधाज्ञा का व्यापारिक दावा के अन्तर्गत है। जिसकी सुनवाई के पूर्व अधिवक्तागण द्वारा को प्राप्त है एवं प्रस्तुत परिनामा के विषय अनुसार अब मुद्दे नहीं है तथा अप्राप्ति द्वारा प्रस्तुत तप साक्ष्य के विषय है। जिसके संदर्भ में अधिवक्ता निर्णय मुक्तनाम के अन्तर्गत उपपक्ष को विस्तृत रूप से सुना जाकर साक्ष्य के प्रतिगत विषय जना साक्ष्य परीत होता है। परिनामा अधिवक्ता</p>	

P.T.O.

दृष्टीवर्तिह व अन्य V/S उपकरणों के

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	01/2019 आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	19/04/22	<p>निषेधाज्ञा के दृष्टिकोण से, प्रस्तुत व उपलब्ध फलवज्जा अनुसूची प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संयुक्त व अपूर्णता इति प्राथमिक के लक्षण कि प्रतीत होती है प्रथम मूलका का कितना उपलब्धता को निर्धारण के सुनावाहक समूहों को कक्षा की गुणवत्ता / गुणवत्ता के आधार पर निर्णय किया है। अतः निर्णय प्रस्तुत प्राथमिक के निर्णय के अभाव में ही अतः प्राथमिक को प्राथमिक आस्था निषेधाज्ञा स्वीकार निषेधाज्ञा के प्राथमिक के मूलका के कितना उपलब्धता को प्राथमिक निषेधाज्ञा के फलवज्जा किया जाता है कि वे 1200 वज्जा तह. और अति उपलब्धता के अर्थ में प्रति आ. सं. नं. 612/1046 2019 का 2-00 है. जो कि प्रचालित मासिक रिपोर्ट अनुसार प्राथमिक की प्रकृतिकारीता व कक्षा गुणवत्ता की प्रति है, जो प्राथमिक के लक्षण वास्तविक व प्रति के उपयोग-प्रयोग में किसी प्रकार की बाधा उपलब्धता करें। निर्णय आज्ञा दिनांक 19/04/22 को सुले उपमालय के सुनावाहक प्राथमिक फलवज्जा प्रमाण देकर ही नभर से वत है। कार्यवाही दिनांक 19/04/22 है।</p>	

सहायक कलेक्टर (पोस्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर
वीरगोपाल अधिकारी : श्रीमति अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र सं. : 01/2019

1. हरजीत सिंह पुत्र स्व. श्री जयवीर सिंह
निवासी ए-18, यूथवेलफेयर एनक्लेव सैक्टर 79, माहोली पंजाब।
2. कुलवन्त कौर पत्नी स्व. श्री जयवीर सिंह
निवासी ए-18, यूथवेलफेयर एनक्लेव सैक्टर 79, माहोली पंजाब।
3. हरजन कौर पुत्री स्व. श्री जयवीर सिंह पत्नी गुरजीत सिंह
निवासी आउस नम्बर 68, कालिया कॉलोनी, जालन्धर पंजाब।
4. सारेन कौर पुत्री स्व. श्री जयवीर सिंह पत्नी सरबजीत सिंह
निवासी वर्ड स्पा ईस्ट ए-5, 1101, गुडगांव सैक्टर 30, हरियाणा।
5. भावना पुत्री स्व. जयवीर सिंह पत्नी सुनरीत
निवासी 101, फर्स्ट फ्लोर इकबाल निवास 17 आर डी खार वेस्ट मुम्बई।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. उपवन संरक्षक जयपुर मध्य मिनी सचिवालय बनीपार्क जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:- अधिवक्ता प्रार्थी श्री प्रेम प्रकाश शर्मा

उपस्थित:- अधिवक्ता अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार जैन

निर्णय

दिनांक 19.04.22

प्रार्थीगण की ओर से वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि आराजी ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. के सन्दर्भ में हरतगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि के प्रार्थीगण काबिज काशत अभिलिखित खातेदार काशतकार है एवं वर्णित भूमि को प्रार्थीगण द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रमांक 1530 दिनांक 16 03.1999 के तत्कालीन राजस्व रिकार्ड के प्रचलित अभिलिखित खातेदार काशतकार सांवरमल पुत्र गोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर से कय की गई है। उक्त प्रचलित खातेदार/विक्रेता का विक्रित भूमि पर निरन्तर कब्जाकाशत बहसियत खातेदार वर्ष 1986 से 1999 तक

कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

रहा है। जिसके पश्चात खरीद के समय से ही प्रार्थी उक्त आराजीयात पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काविज है। इसके उपरान्त भी प्रार्थीगण की उक्त प्रचलित अभिलिखित खातेदारीता एवं कब्जाकाश्त की भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि होना बताते हुए वन विभाग द्वारा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी सीमाक्षेत्र की भूमि में जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा इसी आशय से प्रार्थीगण की उक्त भूमि में मदाखलत करते हुए निर्माण करने एवं प्रार्थीगण को वेदखल करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में बाधा कारित की जा रही है। जिससे प्रार्थीगण को हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके क्षेत्र में यदि अप्रार्थी को प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारीता की भूमि में जबरन प्रवेश, निर्माण व प्रार्थीगण को भूमि के उपयोग उपभोग करने में बाधा कारित ना करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई सम्भव नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वें प्रार्थीगण की प्रचलित अभिलिखित खातेदारीता एवं कब्जाकाश्त की भूमि आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है। में प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें तथा ना ही प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत करे।

प्रार्थीगण द्वारा अपने अभिकथनों के सन्दर्भ में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है:-

1. प्रमाणित प्रति : जमाबन्दी सम्वत 2055-2058 जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. किस्म बारानी 3 के रूप में कृषि भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में सांवरमल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन की खातेदारिता में दर्ज अंकित है। उक्तानुसार भूमि वन भूमि नही होकर कृषि भूमि के रूप में दर्ज होना प्रदर्शित/साबित है।
2. प्रमाणित प्रति : जमाबन्दी सम्वत 2059-2062 जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. किस्म बारानी 3 के रूप में कृषि भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता जयवीर सिंह पुत्र रामसिंह की खातेदारिता में दर्ज अंकित है। उक्तानुसार भूमि वन भूमि नही होकर कृषि भूमि के रूप में दर्ज होना प्रदर्शित/साबित है।

महायक कलक्टर (मिस्ट्र ट्रेक) आम्बर
मुजफ्फरगंज-जयपुर

3. सत्य प्रति : जमाबन्दी संख्या 2067-70 दिनांक 16.08.2014 जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है किस्म बाराही 3 के रूप में कृषि भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता जयवीर सिंह पुत्र रामसिंह की खातेदारिता में दर्ज अंकित है। उक्तानुसार भूमि वन भूमि नहीं होकर कृषि भूमि के रूप में दर्ज होना प्रदर्शित/साबित है।

4. सत्य प्रति : जमाबन्दी संख्या 2071-74 दिनांक 22.12.2018 जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है किस्म बाराही 3 के रूप में कृषि भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता जयवीर सिंह पुत्र रामसिंह की खातेदारिता में दर्ज अंकित है। उक्तानुसार भूमि वन भूमि नहीं होकर कृषि भूमि के रूप में दर्ज होना प्रदर्शित/साबित है।

5. प्रमाणित प्रति : नामान्तरण सं. 53 दिनांक 20.11.2001 जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आराजी ख. नं. 612/1046 रकबा 2.00 है किस्म बाराही 3 का नामान्तरण भूमि के गत खातेदार काशनकार सांवरमल पुत्र रामगोपाल के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता जयवीर सिंह पुत्र रामसिंह के नाम दिनांक 20.11.2001 को स्वीकृत होना दर्ज अंकित है। उक्त नामान्तरण अनुसार उल्लेखित भूमि का नामान्तरण पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1530 दिनांक 16.08.1999 के आधार पर स्वीकृत होना भी प्रमाणित है।

6. प्रमाणित प्रति : मिलान क्षेत्रफल जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है का साबिक खसरा नं. 257 मिन होना दर्ज अंकित/प्रमाणित है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी एक द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि विवादित भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है साबिक ख.नं. 424 से बना है, जो कि रक्षित वन क्षेत्र है जिसका स्वामित्व व कब्जा मिन अप्रार्थी /वन विभाग का है तथा उक्त भूमि क्षेत्र राजस्व (ग्रुप 8) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या एफ 2(11)राज./8/77 दिनांक 10.03.1978 के क्रम में जरिये गजट नोटिफिकेशन के राजपत्र सं. भाग1(ख) क्रम सं. 391 दिनांक 18.03.1982 द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। उल्लेखित विवादित भूमि का गत खसरा नं. 424 है, जिसका कुल रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा है, जो कि पूर्णतया वन विभाग के स्वामित्व व कब्जे में है तथा वन बन्दोबस्ती के



अनुसार भी ख.नं. 424 का कुल रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा है, जो कि वन भूमि है। उक्त भूमि दिनांक 10.03.1978 को रक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने पर समस्त कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुये ही अवाप्त कर ली गई थी।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने अभिकथनों में आगे यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का कभी कोई कय जरिये विक्रय पत्र सं. 1530 दिनांक 16.08.1999 के भूमि के किसी तथाकथित पूर्व खातेदार सांवरमल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर से नहीं किया गया है, क्योंकि सांवरमल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर उक्त भूमि का कभी खातेदार नहीं रहा है, नहीं हो सकता था, क्योंकि उक्त भूमि दिनांक 10.03.1978 को रक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने के समय से ही वन विभाग के स्वामित्व व कब्जे की भूमि रही है तथा स्वामित्वहीन तथाकथित खातेदार कोई विधिक स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पिता/पति कभी भी उक्त आराजी के विधिक खातेदार नहीं रहे।



इसके अतिरिक्त अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा उल्लेखित भूमि गत खसरा नं. 424 की 1.575 है. पर अवेध अतिक्रमण के सन्दर्भ में राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही के क्रम में न्यायालय सहायक वन संरक्षक जयपुर (उत्तर) द्वारा दर्ज प्रकरण सं. 686/2010 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2012 द्वारा अतिक्रमी घोषित करते हुए शास्ति राशि अधिरोपित की जाकर बेदखली के आदेश भी दिये गये हैं। उक्त आदेश के अधीन प्रार्थीगण के पिता/पति का आराजी ख. नं. 424 पर निर्माण व कृषि फार्म के रूप में कब्जा होना साबित पाया गया है। जिसके क्रम में कार्यवाही के विरुद्ध स्वयं के बचाव हेतु प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि भू-राजस्व की धारा 91 के अन्तर्गत आदेश के विरुद्ध अपीलीय कोर्ट राजस्व में अपील ही की जा सकती है। वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। साथ ही वन भूमि से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पिता/पति उक्त आराजीयात के कभी सदभावी/विधिक खातेदार नहीं रहे हैं अपितु अतिक्रमी है। जिससे प्रार्थीगण कोई अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता (फारस्ट्रॉकर) आमेर
न्यायालय-जयपुर

अप्राथी द्वारा अपने अभिकथनों के सन्दर्भ में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं:-


1. राजस्व (ग्रुप 8) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिव्यप्रति बांध्या एण्ड 2(11)राज./8/77 दिनांक 10.03.1978 की प्रति
2. गजट नोटिफिकेशन के राजपत्र सं. भाग1(ख) क्रम सं. 391 दिनांक 16.08.1999 की प्रति
3. प्रमाणित प्रति वन बन्दोबस्त/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
4. निर्णय की प्रति दिनांक 25.10.2012 न्यायालय सहायक वन सहायक जयपुर उत्तर
5. प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल भूमि एकिकरण विभाग राजस्थान
6. प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2025-2028
7. प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2029-2032



हमने अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी व तथ्यों का ज्ञान किया तथा पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुख्यतः इस तथ्य का आधारित है कि विवादित भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है। राजस्थान की राजस्व रिकार्ड में पूर्व से कृषि भूमि के रूप में प्रचलित खातेदारी अधिकारित की भूमि है, जो कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में भूमि के पूर्व के प्रचलित अभिलिखित खातेदार से विधिवत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के कय की गई है एवं कय किये जाने के पूर्व से ही भूमि का कब्जाकाशत विक्रेता का तथा कय किये जाने के पश्चात से प्रार्थीगण का चला आ रहा है तथा भूमि पूर्व से ही व आदिनांक तक भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित है। जिसे अप्राथी वन विभाग द्वारा स्वयं की अधिकार क्षेत्र की व रिकार्ड में संधारित भूमि बताया गया है। जिसके क्रम में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह बसूबी सिद्ध होता है कि उल्लेखित भूमि प्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 1530 दिनांक 16.08.1999 के द्वारा विधिवत व नियमानुसार मुद्रा शुल्क अदा कर कय की गई है तथा कय किये जाने के दिन भूमि के सन्दर्भ में कोई वाद/रणगन प्रभावी होने बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज अथवा कोई तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके क्रम में ही विधिवत नामान्तकरण भी नियमानुसार दिनांक 20.11.2001 को स्वीकृत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार विवादित भूमि पूर्व से ही निरन्तर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित रही है।

अधिवक्ता (फारम टिक) ग्रांफर
जायपुर-राजस्थान

जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि का वन भूमि होना कहीं दर्ज अंकित नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी के कथनानुसार विवादित भूमि अप्रार्थी वन विभाग की अधिकारीता व कब्जे की भूमि है। जिसके सन्दर्भ में पूर्व में प्रार्थी/वादी के विरुद्ध पारित हुए वेदखली के निर्णय के क्रम में प्रार्थी/वादी द्वारा हस्तगत वाद पारित किया गया है जबकि किसी भूमि विशेष के सन्दर्भ में पूर्व में पारित आदेश के विरुद्ध अपील ही की जा सकती है, उक्त आदेश के क्रम में नया वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अप्रार्थी द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि वाद/प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है, जबकि अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रार्थीगण की अभिलिखित खातेदारीता की भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है, वन विभाग की खातेदारी अधिकारीता की भूमि हों। जहां तक प्रश्न अप्रार्थी वन विभाग के इस कथन का है कि उसके द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध धारा-91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है तो उक्त सन्दर्भ में न्यायालय के विवेकानुसार प्रथम दृष्टया उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध है क्योंकि प्राथी भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा भूमि वन भूमि के रूप में दर्ज अंकित नहीं होकर पूर्व से ही निरन्तर कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित रही है। जिसके सन्दर्भ में धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अप्रार्थी वन विभाग को कोई अधिकार नहीं था/है। साथ ही न्यायालय सहायक वन संरक्षक अधिकारी के निर्णय अनुसार धारा 91 के अन्तर्गत की गई उक्त कार्यवाही साबिक खसरा नं. 424 की भूमि 1.575 है, के सन्दर्भ में की गई अंकित है। उक्त निर्णय में भूमि के हाल ख.न. का अंकन नहीं है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण का वर्णित खसरा नं. 424 पर कभी कोई कब्जाकाश्त व खातेदारीता भी नहीं रही है। अपितु प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 612/1046 रकबा 2.00 है, का कय दिनांक 16.08.1999 को किया गया है तथा उक्त दिवस से ही कब्जा प्राप्त किया है। कय किये जाने के पश्चात भूमि का ख. नं. कभी भी 424 नहीं रहा है, ना ही कय किये जाने से पूर्व ख.नं. 424 रहा है। अपितु वर्ष 1999 से पूर्व/भूमि के खसरा नं. 612/1046 के पूर्व ख.नं. 257 रहे हैं। इस प्रकार गत लगभग 52 वर्षों से तो कभी वर्णित भूमि के ख.नं. 424 नहीं रहे हैं जो कि जमाबन्दी सम्वत 2025-2028 से भी स्पष्ट है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वर्ष 2010 में किस वर्णित भूमि के गत ख.नं. 424 थे, जिसके सन्दर्भ में प्रार्थी को दिनांक 09.09.2010 को क्रमांक 700 अनुसार अप्रार्थी वन विभाग द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत जारी किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि



किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि

गजट नोटिफिकेशन या विज्ञापित दिनांक 16/03/1978 द्वारा कोनसी विधि के अन्तर्गत उक्त आदेश के अनुसरण में वन विभाग को हस्तांतरित की जाये की कथना पर प्रस्तुत गजट नोटिफिकेशन/विज्ञापित दिनांक 10/03/1978 में विशेष खतरा का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस आधार पर अप्रार्थी वन विभाग खसरा नं. 424 के रकबा 54 बीघा 14 बिसवा का वन विभाग के स्वाभित्त व कब्जे की भूमि मानता है तथा ना ही यह स्पष्ट किया गया है कि यदि विज्ञापित/गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19/03/1978 के अनुसरण/पालना में यदि वन विभाग द्वारा भूमि अवाप्त/प्राप्त कर ली गई तो क्यों व किस आधार पर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग की भूमि के रूप में अंकित नहीं होकर आज दिनांक तक भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित है एवं क्यों उक्त भूमि का हस्तांतरण वन विभाग को नहीं किया गया/जा सका। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी वन विभाग के कथनों के विपरीत साबिक खसरा नं. 424 का कुल रकबा 54 बीघा 14 बिसवा ना होकर 58 बीघा 7 बिसवा स्वयं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण से भी स्पष्ट है।



इस प्रकार तथ्यों के सन्दर्भ में विन्दुवार/समग्र विवेचन व उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 612/1046 रकबा 2.00 है। प्रार्थीगण के पूर्वज मात्र के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित है। जो कि स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण की एकल खातेदारीता/अधिकारिता की भूमि है। अप्रार्थी द्वारा अपनी अधिकारिता के सन्दर्भ में कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें विवादित भूमि खसरा नम्बर 612/1046 का उल्लेख हो। चूंकि विवादित भूमि खसरा नम्बर 612/1046 रकबा 2.00 है। प्रार्थी की खातेदारी अधिकारिता की भूमि है जिसकी सुरक्षा हेतु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। राज. काश्त. अधि. की धारा-212 ने एक काश्तकार खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों की भूमि की सुरक्षा के अधिकार प्रदान किये गये हैं। जिससे उक्त सन्दर्भ में सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। जहां तक प्रश्न अप्रार्थी के इस कथन का है कि उसके द्वारा धारा-91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की है तो प्रथम दृष्टया उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध है क्योंकि प्रार्थी/प्रार्थीगण भूमि के अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में स्वयं की अधिकारिता की भूमि रक्षार्थ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार प्रस्तुत किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि अप्रार्थी

र (कॉन्ट्रोल) आभर

भूमि का स्वामित्व अपना मानता है तों उसके सन्दर्भ में अप्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिसके क्रम में विधि अनुरूप सुनवाई की जाकर साक्ष्यों की गुणावगुण के दृष्टिगत निर्णय किया जाना उचित होगा। इस प्रकार चूँकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा स्वयं की रिकार्ड्ड खातेदारी की भूमि की रक्षा के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है तथा जिसकी सुनवाई के पूर्ण अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विधि अनुसार कोई त्रुटि नहीं है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य साक्ष्यों के विषय है। जिसके सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय मूलवाद के अन्तर्गत उभयपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मात्र के दृष्टिकोण से प्रस्तुत व उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रथम दृष्टया विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में पूर्व से ही निरन्तर कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने एवं प्रार्थी द्वारा विधिवत व नियमानुसार भूमि के पूर्व प्रचलित अभिलिखित खातेदार से सदभावी क्रेता (उक्त दिवस को भूमि के सन्दर्भ में कोई वाद/स्थगन प्रभावी नहीं होने व राजस्व रिकार्ड में विक्रेता की एकल खातेदारीता में दर्ज होने से) के रूप में जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र के कय किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध प्रतित होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वें ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. जो कि प्रचलित राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण की एकल खातेदारीता व कब्जाकाशत की भूमि है, में प्रार्थीगण के कब्जाकाशत व भूमि के उपयोग उपभोग में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (कार्टर) आमेर
फास्ट ट्रेक आमेर
मुख्यालय जयपुर